



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 2016/पौष 11, 1937

No. 07]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 2016/PAUSA 11, 1937

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015

का.आ. 7(अ).—जबकि मैसर्स स्पाईसजेट लिमिटेड का क्यू-400 विमान VT-SUC दिनांक 04-12-2015 को मुम्बई से जबलपुर के लिए उड़ान प्रचालन करते समय जबलपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि इस दुर्घटना के कारण और अंशदायी कारकों का अन्वेषण और निर्धारण किया जाना, और भविष्य में ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सिफारिशें करना समीचीन है।

अब, वायुयान (दुर्घटनाओं एवं घटनाओं का अन्वेषण) नियमावली, 2012 के नियम 11(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस दुर्घटना की औपचारिक जाँच का निदेश देती है।

तदनुसार, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री ए. एक्स. जोसेफ, उप-निदेशक, एएआईबी की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक जाँच समिति नियुक्त करती है।

(i) श्री. के. रामचंद्रन, विमान संरक्षा अधिकारी एएआईबी –सदस्य

(ii) कैप्टन नितिन आनंद –सदस्य

समिति, जब भी अपेक्षित होगा, अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति अधिमानतः छह महीने के भीतर इसकी जाँच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

[सं. एवी-15029/117/2015-डीजी]

बी. एस. भुल्लर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2015

S.O. 7(E).—Whereas M/s. Spicejet Ltd. Q-400 aircraft VT-SUC met with accident at Jabalpur on 4-12-2015 while operating flight from Mumbai to Jabalpur.

And whereas, it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the causes and contributory factors leading to the said accident and make recommendations to avoid recurrence of such accidents in future.

Now, in the exercise of the powers conferred by the Rules 11(1) of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry in the accident be made.

Accordingly, the Central Government hereby appoints a Committee of Inquiry headed by Shri A. X. Joseph, Deputy Director, AAIB with following members:

(i) Shri K. Ramachandran, Air Safety Officer, AAIB as member

(ii) Capt. Nitin Anand as member

The Committee will also take the assistance of other experts/agencies whenever required.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within six months.

[No. AV-15029/117/2015-DG]

B. S. BHULLAR, Jt. Secy.